(126)

आयोजनागत

संख्या – /XI/2011–56(33)2008

प्रेषक,

रविनाथ रामन
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 19 अगस्त, 2011

विषय :– केन्द्र सहायतित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1282/5–लेखा–100 एस०जी०एस०वाई०/2011–12 दिनांक 14.07.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रदेश के अल्मोड़ा एवं हरिद्वार जनपदों हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या जी–2011/1/2011 SGSY 1(309) दिनांक 30.03.11 द्वारा अतिरिक्त किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश कुल रू० 7.556 लाख (रूपये सात लाख पचपन हजार छह सौ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन उपायुक्त कार्यक्रम द्वारा एवं व्यय सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रांश के आवंटन से सम्बन्धित स्वीकृति आदेश के उपरान्त धनराशि की पुष्टि होने पर ही किया जायेगा। धनराशि आवश्यकतानुसार ही आहरित की जाय।

2. राज्यांश की धनराशि आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं सम्बन्धित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा में योजना की गाइड लाइन के अनुसार किये जाने का दायित्व आपका होगा।

3. प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों/प्रयोजना पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. प्रश्नगत योजना में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से केन्द्रॉश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यॉश की अवशेष देयता हो, कि नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

5. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट रूल्स–2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानकों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी/जारी होने वाले दिशा–निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का परिपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे विकास कार्यों पर ही किया जाय।

9. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुए तत्सम्बन्धी सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी०एम०–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11. उपरोक्त प्रस्तर – 01 से 10 तक के दिशा–निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष के अधीन अनुदान संख्या –19 के लेखाशीर्षक 2501– ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम – 01–समेकित

ग्राम विकास कार्यक्रम –800– अन्यव्यय – 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजनायें 0102–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (75% के०सं०) (जिला योजना) – 50 सब्सिडी की मद से रू० 3.778 लाख एवं अनुदान संख्या – 30 के लेखाशीर्षक 2501– ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम – 800 – अन्य व्यय – 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान – 0204 – स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (75%के०स०) (जिला योजना)– 50 सब्सिडी मद से रू० 3.476 लाख संख्या – 31 के लेखा शीर्षक 2501 – ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना –01–केन्द्रीय आयेाजनगत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना – 0102–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (75% के०स०) – 50 सब्सिडी मद से रू० 0.302 लाख वहन किया जायेगा एवं उक्त मदों के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 119 (P)XXXVII–4/2011 दिनांक 12 अगस्त 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव

संख्या 1300 /XI/2011 – 56(33) 2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/हरिद्वार।
5. मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अल्मोड़ा/हरिद्वार।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/हरिद्वार।
8. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. निजी सचिव, मा० मंत्री, मा० ग्राम्य विकास, मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।